## कार्यालयः– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा (म0प्र0)

क्रमांक–Q16 / जि0न्या0छिं0 / 2020 छिंदवाड़ा दिनॉक 30.05.2020

## विविध कार्यालयीन आदेश

(आज दिनांक 30.05.2020 को पारित)

माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक बी/1880 जबलपुर दिनांक 30.05.2020 द्वारा कोविड–19 के बढ़ते हुये संक्रमण को देखते हुये पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक क्यू–5 दिनांक 25.03.2020, परिपत्र क्रमांक क्यू–13 दिनांक 17.05.2020 एवं अन्य समय–समय पर जारी ज्ञापन एवं स्पष्टीकरण को अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य संचालन के संबंध में आगामी दिनांक 07 जून 2020 तक विस्तृत किया गया है।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू–12 दिनांक 04.05.2020 एवं सर्कुलर क्यू–13 दिनांक 17.05.2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक क्यू–14 दिनांक 18.05.2020 यथावत् रखते हुये यह आदेशित किया जाता है कि अर्जेंट प्रकृति के मामलों के अलावा न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिये वे सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, जो कि अंतिम तर्क के लिये नियत हैं रिमाण्ड, जमानत आवेदन, पुनरीक्षण याचिकायें, सिविल अपील, क्रिमिनल अपील, सुपुर्दनामा जिनमें कि सिर्फ दोनों पक्षों को सुना जाना है, वे प्रकरण पीठासीन अधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में लिये जायेंगे, अन्य प्रकरण जो कि साक्ष्य हेतु नियत है इत्यादि सुनवाई में नहीं लिये जायेंगे।

प्रत्येक न्यायाधीशगण उनके द्वारा न्यायिक कार्य का विवरण प्रत्येक शनिवार को तथा शनिवार को अवकाश होने की दशा में शुक्रवार को सायंकाल 2.00 बजे तक कार्यालय में आवश्यक रूप से माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ओर भेजे जाने हेतु प्रस्तुत करेंगे। कार्यालय में रोस्टर अनुसार कर्मचारी प्रत्येक दिवस उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करें।

सभी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी कार्यालय या न्यायालय में नियत न हो वे उस दिन अपने आवास में रहकर अपना मोबाइल नंबर चालू रखेंगे, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे।

सभी न्यायाधीशगण एवं कर्मचारीगण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा Covid-19 के संबंध में जारी गाईड लाईन्स का पालन सुनिश्चित करेंगे, सोशल डिस्टेंस, मास्क एवं न्यायालय परिसर में रखे सेनिटाईजर का उपयोग करेंगे।

जिला मुख्यालय में पदस्थ समस्त न्यायाधीशगण जो प्रकरण उनके द्वारा अंतिम सुनवाई हेतु नियत किये गये हैं, उनकी कॉज लिस्ट एक दिन पूर्व श्री विजय शेरके, (डी0एस0ए0) के पास आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे। तहसील मुख्यालय पर प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग समान प्रकार से एस0ए0 को कॉज लिस्ट भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

30.5.20.

(बी0एस0भदौरिया)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा

**प्रतिलिपिः–**

1– समस्त न्यायिक अधिकारीगण, छिंदवाड़ा, सौंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हर्रई, तामिया एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, छिंदवाड़ा की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

2– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छिंदवाड़ा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Scanned with CamScanner

3— प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई—मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब—साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

4— अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत् कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

5— प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

6— कार्यालय जन सम्पर्क अधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर सभी दैनिक समाचार पत्रों में उपरोक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।

7— प्रस्तुतकार, सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सही/—
(बी0एस0भदौरिया)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा

Scanned with CamScanner